न्यायालय जिला कलक्टर एवं द्वितीय अपीलेट अधिकारी

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **03/2018 अपील लो.से.गा.**

उनवान

श्री नारायण लाल पिता जग्गुराम गुर्जर निवासी लापी का बाडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा **बनाम**

1. तहसीलदार आसीन्द (पदाभिहीत अधिकारी)
2. उपखण्ड अधिकारी बदनोर (प्रथम अपील अधिकारी)

––अपीलार्थी **––प्रत्यर्थी**

द्वितीय अपील राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारण्टी अधिनियम 2011 अन्तर्गत धारा 6(4)

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 29.10.2018

अपीलार्थी की ओर से यह द्वितीय अपील राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 अन्तर्गत धारा 6(4) तहसीलदार आसीन्द व उपखण्ड अधिकारी बदनोर के विरूद्ध दिनांक 02.07.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(4) के अन्तर्गत एक आवेदन दिनांक 07.02.2018 को तहसीलदार आसीन्द को प्रस्तुत किया। किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा पदाभित अधिकारी के विरूद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी बदनोर के यहां की गयी।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 04.07.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी बदनोर एवं तहसीलदार आसीन्द से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री नारायणलाल पिता जग्गुराम गुर्जर निवासी लापियो का बाडिया तहसील आसीन्द ने दिनांक 07.02.2018 को तहसीलदार आसीन्द को राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारण्टी अधिनियम 2011 के तहत राजस्व अभिलेख ग्राम झालरा तहसील आसीन्द की साबिक आ. नं. 1134 रकबा 06 बीघा भूमि उदा पिता जसु गुर्जर के नाम पर दिनांक 05.12.1971 को मुकाम दौलतगढ में अलोट हुई। जिसकी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित नकल चाही गयी, लेकिन तहसीलदार आसीन्द द्वारा नकल नही दिये जाने पर उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के यहां प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसके प्रकरण सं. 03/2018 दर्ज होकर दिनांक 27.04.2018 को निर्णय पारित किया जो इस प्रकार हैं– **"अपीलार्थी ने राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 अन्तर्गत धारा 6(4) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी तहसीलदार आसीन्द को दिनांक 07.02.2018 को प्रेषित किया। तहसीलदार बदनोर द्वारा अपीलार्थी को चाही गयी वांछित सूचना समय पर नही दी गयी, जिससे प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बदनोर में की गयी। अपीलार्थी को वांछित दस्तावेज तहसील कार्यालय आसीन्द में उपलब्ध नही होने की सूचना प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् तहसील कार्यालय आसीन्द से**

दी गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार आसीन्द एवं संबंधित शाखा इन्चार्ज को हिदायत की जाती है कि भविष्य में राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारण्टी अधिनियम 2011 के तहत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अधिनियम के प्रावधान अनुसार पावती रसीद उसी समय दी जावे। रिकार्ड आदि उपलब्ध है या नही इसकी सूचना भी निश्चित समयावधि में ही सूचित कराया जावे।"

प्रथम अपील के निर्णय के उपरान्त भी तहसीलदार आसीन्द ने अपीलार्थी को वांछित प्रतिलिपि उपलब्ध नही करायी जाने पर द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। द्वितीय अपील के नोटिस पर तहसीलदार आसीन्द ने जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार हैं– अपीलार्थी द्वारा राजस्व अभिलेख भूमि आवण्टन संबंधी पत्रावली की नकल चाही गयी है। काफी वर्षो पुराना आवण्टन रिकार्ड कटा फटा होकर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। जिसके 4–5 बस्ते बंधे होकर कार्यालय में पडे हुए हैं। जिसमें ढुंढने पर प्रार्थी द्वारा चाहे गये राजस्व अभिलेख (आवण्टन आदेश की पत्रावली) उपलब्ध नही हुयी है। प्रार्थी को इसकी सूचना पत्र कमांक/राजस्व/2018/4160–61 दिनांक 09.05.2018 से प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार आसीन्द के कमांक/राजस्व/2018/4630 दिनांक 18.07.2018 से दिया गया जवाब उचित प्रतीत नहीं होता हैं। राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारण्टी अधिनियम 2011 में वर्णित सेवाओं में भूमि आंवटन पत्रावली संबंधी अभिलेख नहीं आता हैं। फिर भी तहसीलदार आसीन्द को निर्देश दिये जाते हैं कि रिकार्ड के संबंध में संबंधित कार्मिक के उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अपीलार्थी द्वारा चाही गयी पत्रावली की प्रतिलिपि रिकार्ड से तलाश करा अपीलार्थी को उपलब्ध करावे तथा पालना से अवगत करावे।

अतएव अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारण्टी अधिनियम 2011 में वर्णित सेवाओं में भूमि आंवटन पत्रावली संबंधी अभिलेख नहीं आने से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एव प्रत्यर्थी को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 29.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा